बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञाप सं0–1 / पा0मे0–01 / 2021– 822(1) / स्वा0, पटना, दिनांक– 31 / 12 / 2021

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1) दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल / पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–355(1) दिनांक–06.04.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में हिमालया एजुकेशनल ट्रस्ट, कंकड़बाग, पटना द्वारा प्रस्तावित हिमालया कॉलेज ऑफ पारामेडिक्स, चिक्सी, पालीगंज, पटना को सत्र 2021 से –

(क) निम्न पारा मेडिकल डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अगले आदेश तक पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति / मान्यता, अंकित शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन (DMLT)	60 (साठ)
2	डिप्लोमा इन आकुपेशनल थेरापी (DOT)	60 (साठ)
3	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर सहायक (DOTA)	60 (साठ)
4	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	120 (एक सौ बीस)

(ख) निम्न पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र, अंकित शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	बैचलर इन फिजियोथेरापी (BPT)	120 (एक सौ बीस)
2	बैचलर इन आकुपेशनल थेरापी (BOT)	120 (एक सौ बीस)
3	बैचलर इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी (BMLT)	120 (एक सौ बीस)
4	बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट (BHM)	120 (एक सौ बीस)
5	बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी (BRIT)	60 (साठ)
6	बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (BOTA)	60 (साठ)
7	बैचलर इन ऑफ्थलमिक टेक्नोलॉजी (B.Ph.OT)	60 (साठ)

(ग) निम्न पारा मेडिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र, अंकित शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	मास्टर इन फिजियोथेरापी	60 (साठ)
2	मास्टर इन आकुपेशनल थेरापी	60 (साठ)
3	मास्टर इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी	60 (साठ)
4	मास्टर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी	60 (साठ)
5	मास्टर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी	60 (साठ)
6	मास्टर इन ऑफ्थलमिक टेक्नोलॉजी	60 (साठ)

2– स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.2005 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल / पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्त्तों का पूर्ण अनुपालन हिमालया एजुकेशनल ट्रस्ट, कंकड़बाग, पटना द्वारा प्रस्तावित हिमालया कॉलेज ऑफ पारामेडिक्स, चिक्सी, पालीगंज, पटना के द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः

3– संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय से affiliation प्राप्त करने के उपरान्त ही डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन लेगी।

4– सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

5– संस्थान अपने कार्यरत सभी फैकल्टी/कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार लिंक्ड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।

6– बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम–(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000/– (रूपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

7– संस्थान द्वारा निरीक्षण समिति द्वारा निदेशित कमियों (अगर कोई हो) को एक वर्ष में दूर करना अनिवार्य होगा।

8– भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

9– सरकार द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/12/21

(शिशिर कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–1/पा0मे0–01/2021– 822(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31/12/2021

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना–800001/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, हिमालया एजुकेशनल ट्रस्ट, कंकड़बाग, पटना द्वारा प्रस्तावित हिमालया कॉलेज ऑफ पारामेडिक्स, चिक्सी, पालीगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/21

विशेष कार्य पदाधिकारी